अध्याय IV: वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय

एसटीसीएल लिमिटेड

4.1 कारोबार सहायक को निधियों के निर्मुक्त करने में अनियमितताएं

पीली मटर की अधिप्राप्ति के लिए उचित परिश्रमिता के बिना और गलत तथ्यों के आधार पर निधियों के निर्मुक्त करने और कारोबार सहायक के लिए अवैध कारार के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा ₹ 24.67 करोड़ की उगाही नहीं हुई।

एसटीसीएल लिमिटेड (कम्पनी) ने 30742 मीट पीली मटर की अधिप्राप्ति हेतु ₹ 45.79 करोड़ की निधियों का प्रबन्ध करने के लिए आर पियारेलाल फूडस प्राइवेट लिमिटेड (आरपीएफपीएल) कोलकाता (7 मई 2008) से सम्पर्क किया गया था जिसके लिए पंचाट पत्र (एलओए) उन्हें नवम्बर 2007 में एसटीसी लिमिटेड (धारक कम्पनी) द्वारा जारी किया गया था। एसटीसी लिमिटेड और आरपीएफपीएल के मध्य करार की शर्तों के अनुसार ₹ 53.88 करोड़ मूल्य के स्टॉक के लिए भुगतान का 85 *प्रतिशत* (अर्थात ₹ 45.79 करोड़) अनुबद्ध समय के अन्दर आरपीएफपीएल द्वारा प्रेषित किया जाना था। आरपीएफपीएल ने कडी वित्तीय स्थिति बताते हुए अपने निजी बकाया बिलों के निपटान के लिए ₹ 3.63 करोड़ की अतिरिक्त निधियों के लिए कम्पनी से एक और अनुरोध किया (15 मई 2008)।

कम्पनी ने बोर्ड से अनुमोदन के बिना 11.50 *प्रतिशत* प्रति वर्ष के ब्याज पर 30742 मीट पीली मटर की अधिप्राप्ति लागत के 85 *प्रतिशत* के वित्तपोषण के लिए आरपीएफपीएल (लेकिन हस्ताक्षर आरपीआईईएल[1] की ओर से किए गए) के साथ एक करार निष्पादित किया (16 मई 2008)। करार में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का प्रावधान किया गयाः

- निधियों को कार्गो की डिलीवरी लेने के लिए मूल शिपमेंट दस्तावेतों की प्राप्ति वाले पत्तन पर नामित सीएण्डएफ एजेंट द्वारा पुष्टि की प्राप्ति होने और कम्पनी के नाम में सीडब्ल्यूसी/सीमाशुल्क बद्ध मालगोदाम में इन्हें स्टोर करने और कम्पनी के नाम में सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी द्वारा जारी स्टॉक प्राप्तियों के अध्यधीन निर्मुक्त किया जाएगा।
- आरपीएफपीएल को अधिप्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के अन्दर समस्त अधिप्राप्त हुए स्टॉक को बेचते हुए अपनी देयता अदा करना अपेक्षित था जिसके विफल होने पर कम्पनी आरपीएफपीएल की लागत एवं जोखिम पर शेष स्टॉक का निपटान करेगी और अन्तर राशि का संग्रहण आरपीएफएल से किया जाएगा।

तद्नन्तर, कम्पनी की एक समिति[2] ने प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए 0.5 *प्रतिशत* की दर पर सेवा प्रभार के अतिरिक्त शेष को घटाते हुए 11.75 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की ब्याज दर और 90 दिनों तक

---

[1] *आर पीयारे लाल इम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट लिमिटेड, आरपीएफपीएल की एक सहयोगी कम्पनी*

[2] *महाप्रबन्धक (विपणन), महाप्रबन्धक (वित्त) एवं महाप्रबन्धक (पीएण्डए) की बनी हुई समिति*

बिक्री मूल्य के 1.25 *प्रतिशत* के लाभ मार्जिन पर पिछले निष्पादन और दीर्घकालिक कारोबार संबंध का उल्लेख करते हुए आरपीएफपीएल को 30742 मीट पीली मटर की खरीद के लिए ₹ 49.42 करोड़ (₹ 45.79 करोड़ + ₹ 3.63 करोड़) के उधार देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (16-20 मई 2008)। समिति ने दिनांक 16 मई 2008 के करार और उपलब्ध सुसंगत दस्तावेजों के साथ मात्रा में अन्तर, ब्याज की दर, निर्णायक तारीखों में अन्तर का मिलान नहीं किया। समिति का अनुमोदन श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, आरपीआईईएल के निदेशक से आरपीएफपीएल के निष्पादन के लिए व्यक्तिगत गारन्टी (16 मई 2008) एवं ₹ 45.79 करोड़ के लिए आरपीएफपीएल के बिना तारीख के चैक और 30742 मीट पीली मटर की डिलीवरी लेने के लिए मूल शिपिंग दस्तावेजों के प्राप्ति की पुष्टि करते हुए मैसर्स बैद शिपिंग एजेंसी से दिनांक 6 मई 2008 के पत्र और एसटीसी द्वारा आरपीएफपीएल के पक्ष में, एसटीसीएल लिमिटेड के पक्ष में विधिवत पृष्ठांकित बी/एल की प्रतियों सहित एसटीसीएल के नाम में कोलकाता शेडों में इसे स्टोर करने के आधार पर था। समिति के निर्णय को प्रबंध निदेशक द्वारा अनुसमर्थित किया गया था (22 मई 2008) और उसी दिन समस्त राशि को आरपीएफपीएल को निर्मुक्त कर दिया गया था।

अतिरिक्त राशि के निर्मुक्त करने के प्रति ₹ 4 करोड़ (मई 2008) की प्रारम्भिक चुकौती के पश्चात् आरपीएफपीएल ने अक्तूबर 2008 से चुकौती प्रारम्भ की और सितम्बर 2009 तक ₹ 27.83 करोड़ का कुल भुगतान किया जबकि इसने चुकौती बन्द कर दी थी जिससे बकाया भुगतान इकठ्ठे होकर ₹ 27.62[1] करोड़ हो गए थे। बात चीत व्यवस्था (दिसम्बर 2009) के परिणामस्वरूप आरपीएफपीएल ने अप्रैल 2010 तक ₹ 11.00 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। कम्पनी ने ₹ 17.17 करोड़[2] के लिए सन्देहात्मक ऋण के प्रति बकाया राशि के लिए प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा ने कारोबार प्रस्ताव के संसाधित करने और अनुमोदन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखीः

- कम्पनी और आरपीएफपीएल के मध्य दिनांक 16 मई 2008 के करार पर हस्ताक्षर एक सिद्धार्थ अग्रवाल, निदेशक आरपीआईईएल द्वारा आरपीआईईएल के लिए और उस की ओर से किए गए थे जिसने करार को अवैध ठहराया। *मंत्रालय ने बताया कि यह एक गलती थी।*

- मैसर्स बैद शिपिंग एजेंसी का दिनांक 6 मई 2008 का पत्र कम्पनी को सम्बोधित किया गया जिसने लदान सं. वीसीआर/एसएजी-1 दिनांक 19 अक्तूबर 2007 के एक बिल के अन्तर्गत 22742 मीट के लिए मूल दस्तावेजों की प्राप्ति की पुष्टि की। एसटीसी लिमिटेड के पंचाट पत्र और उसके साथ संलग्न आरपीएफपीएल के दिनांक 7 मई 2008 के पत्र में 22742 मी.ट. कोलकता में रिहा करने के लिए सं. वीसीआर/एसएजी-1 में, 19 अक्तूबर 2007 के लेडिंग बिल और सं. वीसीआर/वीआईएस-1 8000 मी.ट. विशाखापत्तन में रिहा करने के लिए सं वीसीआर/एसएजी-I दो बिलों का ज़िकर किया गया था। लेकिन समिति का अनुमोदन 30742

---

[1] ***मूल राशि प्लस 30 नवम्बर 2009 तक ब्याज***

[2] ***₹ 16.62 करोड़ के मूल सहित***

मीट की डिलीवरी लेने के लिए बैद शिपिंग एजेन्सी के दिनांक 6 मई 2008 के पत्र की पुष्टि पर आधारित था जो सुविचारित मिथ्या निरूपण था।

- तथ्य यह है कि आरपीआईईएल की पिछली चूकों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2008 को ₹ 44.21 करोड़ के प्राप्यों का संचय हो गया जिन्हें कम्पनी के जीएम (वित्त) के दिनांक 8 मई 2008 के पत्र द्वारा आरपीआईईएल की विधिवत जानकारी में लाया गया जिसका उल्लेख आरपीएफपीएल को उपर्युक्त वित्तीय सहायता देने के लिए 22 मई 2008 को अनुसमर्थित प्रस्ताव में नहीं किया गया था। *तथ्य को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था(अक्तूबर 2011)।*

- शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, सम्बद्ध क्रेता के साथ पूरी बेक टू बेक क्रेता व्यवस्था सहित व्यापार के लिए पध्यों की अधिप्राप्ति के लिए बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित था, यदि मूल्य ₹ 20 करोड़ से अधिक हो जाता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में वित्तपोषण अनियमित था। *मंत्रालय ने अनियमितता को स्वीकार किया (अक्तूबर 2011)।*

- चुकौती में चूक होने के पश्चात आरपीआईईएल (आरपीएफपीएल नहीं, जो डेटर था) ने सेवा प्रभारों के माफ करने के लिए और ब्याज की दर को घटाकर 10 *प्रतिशत* करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क किया (7 दिसम्बर 2009)। कम्पनी ने आरपीएफपीएल/आरपीआईईएल को संबोधित करते हुए रियायती पत्र (10 दिसम्बर 2009) जारी किया जिसमें बकाया राशि को, केवल ब्याज प्रभारित करते हुए, ₹ 27.62 करोड़ आंका गया था, ₹ 27.62 करोड़ पर निपटान के लिए बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन लम्बित था। लेकिन मात्र ₹ 11 करोड़ की उगाही हो सकी। कम्पनी के पास मात्र श्री सिद्धार्थ अग्रवाल की व्यक्तिगत गारन्टी और ₹ 45.79 करोड़ के लिए आरपीएफपीएल का एक बिना दिनांक का चेक था जिसका कि शेष प्राप्यों की उगाही के लिए उपयोग नहीं किया गया।

- स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन कम्पनी द्वारा कभी नहीं किया गया था जिसने कम्पनी के वित्तीय हित की सुरक्षा के लिए उचित मॉनीटरिंग तन्त्र का अभाव दर्शाया । *कम्पनी द्वारा स्टॉक का सत्यापन न करने के तथ्य को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया (अक्तूबर 2011)।*

- न तो विधिक कार्रवाई आरपीएफपीएल/आरपीआईईएल के प्रति की गई और न ही अब तक (जनवरी 2012) चूकों के लिए कोई जिम्मेवारी नियत की गई।

इस प्रकार, कोई उचित परिश्रमिता कारोबार सहायक की वित्तीय सत्यनिष्ठा पर और उपलब्ध सुसंगत दस्तावेजों के सन्दर्भ में संव्यवहारों के मूल तथ्यों पर नहीं की गई थी। निधियों को अवैध करार के आधार पर और शक्तियों के प्रत्यायोजन के उल्लंघन में निर्मुक्त किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.67 करोड़[♥] की उगाही नहीं हुई।

[♥] *मार्च 2011 तक मूल, ब्याज और सेवा प्रभारों सहित*